रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन) हेतु आवेदन पत्र

(कृपया पिछले पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों को पढ़ा जाये)

प्रति,

कुल सचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

महोदय / महोदया,

मैं आपसे — — — .... — विश्वविद्यालय के — — — पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु प्रव्रजन प्रमाण-पत्र निर्गमन करने की प्रार्थना करता हूं। इसके लिये निर्धारित शुल्क रुपये या डाक खर्च सहित बैंक ड्राफ्ट द्वारा या विश्वविद्यालय को रसीद क्रमांक .... दिनांक — — .... के अनुसार भेज दिया गया है, जमा किया है।

मैं अपने विषय में तथा मेरे द्वारा दी गई पिछली परीक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दे रहा/रही हूं।

1. आवेदनकर्ता का पूर्ण नाम अंग्रेजी में ....
   हिन्दी में ....
2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नामांकन / पंजीयन क्रमांक .... —
3. पिछली परीक्षा का नाम .... अनुक्रमांक .... वर्ष — माह .... उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
4. (i) उक्त परीक्षा में किस रूप में प्रविष्ट हुए थे, नियमित छात्र अथवा स्वाध्याय परीक्षार्थी के रूप में — ....
   (ii) यदि नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हुए थे तो महाविद्यालय का नाम जिसमें अध्ययन किया था लिखें ....
5. पूर्ण पता ....
   ....

दिनांक .... 20 ....

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल उनके लिये जो किसी महाविद्यालय में पढ़ते थे / पढ़ते हैं)

यह आवेदन पत्र कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, के पास उन प्राचार्य के माध्यम से भेजना चाहिए जहां कि विद्यार्थी पढ़ रहा था / है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि उपर्युक्त विद्यार्थी का नाम मेरे महाविद्यालय में सन — — — .... तक दर्ज था, और उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है।

विद्यार्थी का प्रव्रजन प्रमाण-पत्र निर्गमन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक .... 20 महाविद्यालय की सील प्राचार्य के हस्ताक्षर

(कृ. प. प.)

निर्देश :-

1. यदि आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से नहीं भरा गया अथवा कोई आनकारी अधूरी दी गई है या गलत दी जाती है तब प्रवजन प्रमाण-पत्र निर्गमित नहीं किया जाएगा।
2. कृपया अपना पूर्ण पता स्पष्ट रूप से दें जिस पर प्रवजन प्रमाण-पत्र भेजा जा सके।
3. ऐसे विद्यार्थी जो किसी महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में पढ़ते है, या पढ़ते थे, उनको अपना प्रावेदन-पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से भेजना चाहिये या महाविद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की फोटोकापी संलग्न करें।
4. ऐसे विद्यार्थी जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, वे अपना आवेदन-पत्र सीधे विश्वविद्यालय में जमा करें / भेजें।
5. प्रवजन प्रमाण-पत्र का मूल्य है तथा यदि डाक द्वारा मंगाना हो तो डाक व्यय अतिरिक्त जमा करना होगा। अथवा यदि यह फार्म डाक द्वारा भेजा गया है तो फार्म का मूल्य शुल्क के साथ अतिरिक्त जमा करना होगा। अन्तिम परीक्षा की अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करें।
6. प्रवजन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क है। साथ में शपथ पत्र तथा अंकसूची भी प्रस्तुत करना होगा। डाक व्यय तथा फार्म का शुल्क उपरोक्तानुसार होगा।
7. यदि आवेदक स्वतः प्रवजन प्रमाण-पत्र लेने नहीं आता है तो अधिकार पत्र के साथ भेजें।

कार्यालयीन उपयोग के लिये

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी — — — — — — — — — — — वर्ष — — — — — की — — — — — — मुख्य / द्वितीय परीक्षा में अनुक्रमांक — — — — नामांकन/ पंजीयन क्रमांक— — — — — के अन्तर्गत प्रविष्ट किये गए थे / गई थी।

(1) यह उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण अनुपस्थित घोषित किये गये (की गई हैं)।

(2) अनुचित साधनों के उपयोग के कारण इनकी उपर्युक्त परीक्षा निरस्त कर दी गई है।

(3) तथा इन्हें आगामी — — — — — परीक्षाओं में प्रवेश लेने से वंचित कर दिया हैं।

नोट। — जो पद अनावश्यक हो अवश्य हीं काट दिया जावे।

— — — — — — — — —

दिनांक — — — —

संबंधित परीक्षा लिपिक
परीक्षा विभाग)

रा. दु. वि वि. 1-10-2010